

न्यायालय श्रीमान जिला अधिकारी महोदय जनपद खीरी

वाद संख्या –D202210430000811

केनरा बैंक बनाम एम.एस गंगाराजे नमकीन भंडार आदि

1. एम.एस गंगाराजे नमकीन भंडार (स्वामी शोभित गुप्ता)निकट वीर बाबा हनुमान मंदिर लखीमपुर – खीरी

2. शोभित गुप्ता पुत्र राम गोविंद निवासी मोहल्ला मिश्राना लखीमपुर– खीरी

3. रिशेथ गुप्ता पुत्र राम गोविंद निवासी मोहल्ला मिश्राना लखीमपुर– खीरी

एतद्वारा अपरोक्त नोटिस दी जाती है कि केनरा बैंक शाखा लखीमपुर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अघोस्तकारी के न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया गया है की आपके द्वारा उक्तबैंक बैंक के लिए गए ऋण का मूगतान अमी तक अदा नहीं किया गया है।

अतः आप दिनांक – 18.04.2024 को समय 10.00 बजे दिन में अघोस्तकारी के न्यायालय में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करे कि क्यों न वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण और पूर्णगठन और प्रतिक्रिा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा –14(1) के अन्तर्गत कार्यावाही करते हुये बैंक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में कथित संपत्ति को कब्जे में लेकर बैंक को ऋण की अदायगी वसूली के संबंध में दे दी जाये। यदि आप उक्त निर्धारित दिनांक व समय पर अघोस्तकारी के न्यायालय में उपस्थित नहीं होते तो समझा जायेगा कि आपको कुछ नहीं कहना है और तदनुसार नियमानुसार आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर लखीमपुर खीरी

mahindra HOME FINANCE

कॉर्पोरेट ऑफिस- यूनिट नं०-203 2ND फ्लोर ,वी विंग ,अभिवि विल्डिंग अग्रतला
कॉर्पोरेट पार्क पीठावल सुन्दर गंज लेन कमाना जंखन कुर्ला (परिचय)

रीजनल ऑफिस- द्वितीय तल, अशोक राज टावर यूनिट न.-सी. पी.-162 सेक्टर – डी एलसीए० कोलीनी कानपुर रोड लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पिन नं०-226012

सार्वजनिक नोटिस -शाखा का बंद होना

हम इस नोटिस के द्वारा शाखा को बंद करने के बारे में सूचित कर रहे हैं **बादतपुत्र शाखा** को जिक्र स्थापित थी (पूतान) ग्राउंड फ्लोर, लखनऊ वाराणसी रोड नेशनल इंटर कॉलेज, पिंडरा, वाराणसी इस तिथि से 30.06.2024

उपरोक्त उल्लेखित तिथि के बाद उपरोक्त शाखा से परिचालन बंद कर दिया जायेगा।

सभी ग्राहकों से अनुरोध है कि वे इसे नोट कर लें।

अधिकृत अधिकारी
महिंद्रा फ़रल हाउसिंग फाइनेंस

कक्षा सूचना

पंजीकृत कार्यालय राधिका, दूसरी मंजिल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुर, आणदवादा, पुष्पराय, पिन कोड 380009 शाखा कार्यालय: एचबीसी फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड, सुखान नंबर 47, अक्सिस फ्लूइड कलेक्टर, उत्तर प्रदेश, पिन नं०-226012

जबकि, एचबीसी फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी वित्तीय परिसंसर्गितों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुखा हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 64) के तहत और धारा 13 (12) के तहत प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करते हुये सुखा के नियम 3 के साथ 'ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002' ने उधारकर्ता को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ता से भुगतान की आवश्यक तिथि तब समी लागती, जबकी 'सह-उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अघोस्तकारी उक्त अधिनियम आर की धारा 13(4) के तहत प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उल्लिखित तिथि पर याचें वर्णित संपत्ति पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर दिया गया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को सूचना दी जाती है कि वे संपत्ति के साथ संबंध में सब और संपत्ति के साथ कोई भी अंतर्गत संपत्ति तिथि से परिभाषित के ब्याज, लागत और शुल्क के साथ साथ निर्दिष्ट तिथि के लिए एचबीसी फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड के शुल्क के अधिन होगान। उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का विवरण, ऋण खाता संख्या, ऋण तिथि, सुखा के विवरण, मांग नोटिस की तिथि, दाय की गई शक्ति कावक की तिथि कावक जैसी चीजें हैं।

1) उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम और पता, 2) ऋण खाता संख्या, 3) ऋण राशि (4) मांग सूचना की तिथि, 5) दाय की गई शक्ति कावक तिथि (6) प्रतिभूतिकरण का विवरण (7) उधार की गई शक्ति कावक तिथि

उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का नाम: अरुण कुमार गुप्ता एच नंबर इंदरनगर, गाँवबावदा टाउन मार्केट के पास गाँवबावदा-201001 उत्तर प्रदेश और मकान नंबर 244, वाई नंबर 5, विभाग नं०, गुप्त नगर, गाँवबावदा –201001 उत्तर प्रदेश, मोबाईल नं० 9712047, ऋण तिथि: 83165882/ (एम्पे प्रवर्तन) 2002 का धारा –14(1) के अन्तर्गत कार्यावाही करते हुये बैंक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में कथित संपत्ति को कब्जे में लेकर बैंक को ऋण की अदायगी वसूली के संबंध में दे दी जाये। यदि आप उक्त निर्धारित दिनांक व समय पर अघोस्तकारी के न्यायालय में उपस्थित नहीं होते तो समझा जायेगा कि आपको कुछ नहीं कहना है और तदनुसार नियमानुसार आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर लखीमपुर खीरी

TATA टाटा कैपिटल लिमिटेड

कक्षा सूचना

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

यह सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (टीसीएफएसएल) एक गैर-बैंकिंग हित कर्ता है और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निर्गमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वीं मंजिल, नगरपालिका कदम नगर, लोअर फ्लैट, मुंबई-400013 और नई दिल्ली ('शाखा') में अन्य स्थानों पर एक शाखा कार्यालय का 01.01.2024 से टाटा कैपिटल लिमिटेड ('टीसीएल') में विलय हो गया है।

चूंकि, अघोस्तकारी वित्तीय आसितियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल लिमिटेड ('टीसीएल') के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रस्तुत शक्तियों का उपयोग करते हुये 08.10.2023 को एक मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ता और सह उधारकर्ताओं गारंटरों, यानी, (1) विशास अरोड़ा, पुत्र कृष्ण विशास अरोड़ा, (2) विकास अरोड़ा, (3) शांशु अरोड़ा, प्रती विशास अरोड़ा, (4) कृष्ण विशास अरोड़ा, (5) राधा राणी, और (6) तलवीनी अरोड़ा, भी-2/4,बी-2 ब्लॉक, कृष्ण नगर, दिल्ली – 110051 को ऋण खाता सं. 4715845 और टीसीएफएसएल0035000011228894 को मध्यम से डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 2,01,76,552.380 के साथ ब्याज और दस्तावेज का शुल्क, लागत आदि को उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ताओं द्वारा इस राशि को चुकाने में असफल रहे है, विशेष तौर पर उधारकर्ताओं तथा आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अघोस्तकारी के उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करते हुये नीचे वर्णित संपत्ति का 30.03.2024 को मॉर्गन कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम तौर पर जनता का एतद्वारा, संपत्ति के साथ सोदा न करने के लिए एतद्वारा दी जाती है और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का संबंध न करने का 30.03.2024 के अनुसार 2,01,76,552.380 के साथ उक्त पर ब्याज और दस्तावेज ब्याज, प्रमार, लागत आदि टाटा कैपिटल फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

संपत्ति की अनुसूची

पौडली और तीसरी मंजिल, बी 2/4, जी ब्लॉक/लाक बवार्टर की आवादी में, कृष्णा नगर , गांव शाहदोली के क्षेत्र में, इलाका शाहरा, दिल्ली 110051

दिनांक: 30.03.2024

प्राधिकृत अधिकारी,
टाटा कैपिटल लिमिटेड

AXIS BANK LTD.

8-नीलामी बिक्री अर्थात् सभी विक्रेता सूचना

धारा 14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी रोड सिटीडायन, नोएडा-201301, मुंबई एक्सप्रेस वे लिमिटेड, कोलीनी कानपुर रोड लखनऊ, एचबीसी फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड, सुखान नंबर 47, अक्सिस फ्लूइड कलेक्टर, उत्तर प्रदेश, पिन नं०-226012

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुखा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अवगत संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुखा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के प्रावधान के साथ पठित।

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अवगत संपत्ति कुलित तौर पर के पारदर्शिता/पार की गई है, जिसका उद्देश्य कक्षा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा से लिया गया है।(एतद्वारा सूचना को रुपये की सूची के लिए 22-अप्रैल-2024 को जारी किया गया है 'जैसा है जो है और 'जो कुछ भी है' में प्रवर्तन जाएगा।', रु. 14,64,267/- (चौदह लाख बीस हजार दो सौ सत्तर रुपये मात्र) 30.03.2024 को 1. भी प्रवर्तन जाएँगे 2/ भीनी बिक्री देना के रूप में उधारकर्ता को नोटिस के ब्याज और लागत का साथ PHR036104622663 और LTR036104625165 के साथ बकाया है। कृपया आवश्यक के लिए संपत्ति संदर्भित कार्यालय देखें।

उधारकर्ता (यदि कोई हो) अवधि मूल्य (एम्पे में)

रु.10,06,734/- (एम्पे दस लाख छह हजार सात सौ बीस रुपये मात्र)

व्यवसाय राशि (एम्पे में)

*एक्सिस बैंक लिमिटेड के खाते में ब्याज/पैसा/की के माध्यम से रु.1,00,673.40/- (एक लाख छह सौ सत्तर रुपये मात्र) के रूप में वसूली के लिए 22-अप्रैल-2024 को जारी किया गया है।

इसकी राशि की बिली आदेश/निष्ठा

रु.10,00,000/- (दस लाख मात्र)

22-अप्रैल-2024 मांग 0500 बजे तक। एक्सिस हाउस, टावर-2 दूसरी मंजिल, 1-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी रोड सिटीडायन, नोएडा-201301, मुंबई। श्री मुकेश कुमार सिंह को संबोधित।

संबंधित ई-नीलामी बिक्री

24-अप्रैल-2024 को, सुबह 11:00 बजे से सांय 12:00 बजे तक। वेबसाइट <https://www.bankauction.com> पर प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल पर एक्सेशन के साथ।

ई-नीलामी बिक्री वस्तुतः हित में ई-नीलामी नीलन, घोषणा और शामिल है, ऊपर बताए अनुसार संपत्ति प्रदाता की वश सदात पर उपलब्ध है।

अनुसूची – संपत्ति का विवरण – आवासीय प्रवर्तन संख्या भी/24 संपत्ति पिन आर को. डेकनल 47.75 वर्ग मीटर आकार टावर-2, नोडला विहार, आवास विकास परियोजना सेक्टर-4ए, गाँवबावदा-201001-201010 में स्थित है।

नोटिफिकेशन बांधन के अनुसार –

कक्षा सूचना के अनुसार –

कक्षा सूचना के अनुसार –

<https://www.axis-bank.com/action-retail> और वेब के अनुमति सेवा प्रदाता सेसॉल सेसॉल सेसॉल लिमिटेड के वेबसाइट <https://www.bankauction.com> पर लिए गए लिंक को देखें।

नीलामी के अनुमति सेवा प्रदाता सेसॉल सी। डेवोला प्रॉडक्ट लिमिटेड के माध्यम से उनके वेबसाइट <https://www.bankauction.com> पर नीलामान आयोजित की जाएगी।

किसी भी अन्य सहायता के लिए, इच्छुक नीलामी श्री मुकेश सिंह, मोबाइल नंबर 91-9873015430 बैंक के अधिकृत अधिकारी कार्यालय समय के दौरान सुबह 10 बजे से सांय 4:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। दिनांक: 31.03.2024, स्थान: नोएडा इलाका/ (प्राधिकृत अधिकारी), एक्सिस बैंक लिमिटेड।

पंजाब नैशनल बैंक Punjab national bank

संकेत सलाह: स्टैंडर देहाडून 1, कक्षा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

मूलतःद्वारा, अघोस्तकारी, प्राधिकृत अधिकारी, **पंजाब नैशनल बैंक** द्वारा वित्तीय आसितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (संशोधित) में प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए पं प्रतिभूतिकरण (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के प्रावधानों के तहत निर्गमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वीं मंजिल, नगरपालिका कदम नगर, लोअर फ्लैट, मुंबई-400013 और नई दिल्ली ('शाखा') में अन्य स्थानों पर एक शाखा कार्यालय का 01.01.2024 से टाटा कैपिटल लिमिटेड ('टीसीएल') में विलय हो गया है।

चूंकि, अघोस्तकारी वित्तीय आसितियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल लिमिटेड ('टीसीएल') के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रस्तुत शक्तियों का उपयोग करते हुये 08.10.2023 को एक मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ता और सह उधारकर्ताओं गारंटरों, यानी, (1) विशास अरोड़ा, पुत्र कृष्ण विशास अरोड़ा, (2) विकास अरोड़ा, (3) शांशु अरोड़ा, प्रती विशास अरोड़ा, (4) कृष्ण विशास अरोड़ा, (5) राधा राणी, और (6) तलवीनी अरोड़ा, भी-2/4,बी-2 ब्लॉक, कृष्ण नगर, दिल्ली – 110051 को ऋण खाता सं. 4715845 और टीसीएफएसएल0035000011228894 को मध्यम से डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 2,01,76,552.380 के साथ ब्याज और दस्तावेज का शुल्क, लागत आदि को उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ताओं द्वारा इस राशि को चुकाने में असफल रहे है, विशेष तौर पर उधारकर्ताओं तथा आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अघोस्तकारी के उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करते हुये नीचे वर्णित संपत्ति का 30.03.2024 को मॉर्गन कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम तौर पर जनता का एतद्वारा, संपत्ति के साथ सोदा न करने के लिए एतद्वारा दी जाती है और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का संबंध न करने का 30.03.2024 के अनुसार 2,01,76,552.380 के साथ उक्त पर ब्याज और दस्तावेज ब्याज, प्रमार, लागत आदि टाटा कैपिटल फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

संपत्ति की अनुसूची

पौडली और तीसरी मंजिल, बी 2/4, जी ब्लॉक/लाक बवार्टर की आवादी में, कृष्णा नगर , गांव शाहदोली के क्षेत्र में, इलाका शाहरा, दिल्ली 110051

दिनांक: 30.03.2024

प्राधिकृत अधिकारी,
टाटा कैपिटल लिमिटेड

कक्षा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

मूलतःद्वारा, अघोस्तकारी, प्राधिकृत अधिकारी, **पंजाब नैशनल बैंक** द्वारा वित्तीय आसितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (संशोधित) में प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए पं प्रतिभूतिकरण (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के प्रावधानों के तहत निर्गमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वीं मंजिल, नगरपालिका कदम नगर, लोअर फ्लैट, मुंबई-400013 और नई दिल्ली ('शाखा') में अन्य स्थानों पर एक शाखा कार्यालय का 01.01.2024 से टाटा कैपिटल लिमिटेड ('टीसीएल') में विलय हो गया है।

चूंकि, अघोस्तकारी वित्तीय आसितियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल लिमिटेड ('टीसीएल') के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रस्तुत शक्तियों का उपयोग करते हुये 08.10.2023 को एक मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ता और सह उधारकर्ताओं गारंटरों, यानी, (1) विशास अरोड़ा, पुत्र कृष्ण विशास अरोड़ा, (2) विकास अरोड़ा, (3) शांशु अरोड़ा, प्रती विशास अरोड़ा, (4) कृष्ण विशास अरोड़ा, (5) राधा राणी, और (6) तलवीनी अरोड़ा, भी-2/4,बी-2 ब्लॉक, कृष्ण नगर, दिल्ली – 110051 को ऋण खाता सं. 4715845 और टीसीएफएसएल0035000011228894 को मध्यम से डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 2,01,76,552.380 के साथ ब्याज और दस्तावेज का शुल्क, लागत आदि को उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ताओं द्वारा इस राशि को चुकाने में असफल रहे है, विशेष तौर पर उधारकर्ताओं तथा आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अघोस्तकारी के उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करते हुये नीचे वर्णित संपत्ति का 30.03.2024 को मॉर्गन कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम तौर पर जनता का एतद्वारा, संपत्ति के साथ सोदा न करने के लिए एतद्वारा दी जाती है और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का संबंध न करने का 30.03.2024 के अनुसार 2,01,76,552.380 के साथ उक्त पर ब्याज और दस्तावेज ब्याज, प्रमार, लागत आदि टाटा कैपिटल फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

संपत्ति की अनुसूची

पौडली और तीसरी मंजिल, बी 2/4, जी ब्लॉक/लाक बवार्टर की आवादी में, कृष्णा नगर , गांव शाहदोली के क्षेत्र में, इलाका शाहरा, दिल्ली 110051

दिनांक: 30.03.2024

प्राधिकृत अधिकारी,
टाटा कैपिटल लिमिटेड

क्र.सं.	शाखा/ऋण की नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राकम
1.	शाखा: रेस कोर्स, देहादून ऋण/बंधककर्ता:- 1. श्री योगेश तलवार पुत्र श्री एच.एन.तलवार, पता: 147 सूरि चौक, रेस कोर्स, देहादून, 2. सह. ऋणी: श्रीमती सुनीता तलवार पत्नी श्री योगेश तलवार पता: 147 सूरि चौक, रेस कोर्स, देहादून	बंधक सम्पत्ति प्रथम तल पर आभित जिसका यूनिटनियम नं. 340/262 (पुराना यूनिटनियम नं. 52) (निजी प्लॉट नं. एच-5, रेस कोर्स कोलीनी), रेस कोर्स रोड, देहादून, भूखत तल पर क्षेत्रफल 2308.50 वर्ग फीट अर्थात् 214.54 वर्ग मीटर कुल निर्मित (सत के आँकड़ा के साथ), विषय विशेष के अनुसार सोमाएल- उलत- श्री अमरवीर सिंह और पंवार की सम्पत्ति, विभाग- 30 फुट चौड़ी सड़क, नूत- मेन रेस कोर्स, पंचम-श्री अमरवीर सिंह की सम्पत्ति, रॉडनंबर क्रिष्ण विशेष बुक संख्या-1, नान्धुय 3308, वेज 265 से 290, दस्तावेज नं. 6562, दिनांक 23.08.2010 सह रजिस्ट्रार कार्यालय-II देहादून पर पंजीकृत है। सम्पत्ति स्वामी- श्री योगेश तलवार, निवासी 147, रेस कोर्स, सूरि चौक,देहादून	18.01.2024	रु 35,94,484.55 + आगे का ब्याज और अन्य शुल्क प्रभावी दिनांक 01.01.2024 और लागत आदि

केनरा बैंक Canara Bank

संकेत सलाह: स्टैंडर देहाडून 1, कक्षा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

मूलतःद्वारा, अघोस्तकारी, प्राधिकृत अधिकारी, **केनरा बैंक** द्वारा वित्तीय आसितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (संशोधित) में प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए पं प्रतिभूतिकरण (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के प्रावधानों के तहत निर्गमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वीं मंजिल, नगरपालिका कदम नगर, लोअर फ्लैट, मुंबई-400013 और नई दिल्ली ('शाखा') में अन्य स्थानों पर एक शाखा कार्यालय का 01.01.2024 से टाटा कैपिटल लिमिटेड ('टीसीएल') में विलय हो गया है।

चूंकि, अघोस्तकारी वित्तीय आसितियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल लिमिटेड ('टीसीएल') के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रस्तुत शक्तियों का उपयोग करते हुये 08.10.2023 को एक मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ता और सह उधारकर्ताओं गारंटरों, यानी, (1) विशास अरोड़ा, पुत्र कृष्ण विशास अरोड़ा, (2) विकास अरोड़ा, (3) शांशु अरोड़ा, प्रती विशास अरोड़ा, (4) कृष्ण विशास अरोड़ा, (5) राधा राणी, और (6) तलवीनी अरोड़ा, भी-2/4,बी-2 ब्लॉक, कृष्ण नगर, दिल्ली – 110051 को ऋण खाता सं. 4715845 और टीसीएफएसएल0035000011228894 को मध्यम से डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 2,01,76,552.380 के साथ ब्याज और दस्तावेज का शुल्क, लागत आदि को उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ताओं द्वारा इस राशि को चुकाने में असफल रहे है, विशेष तौर पर उधारकर्ताओं तथा आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अघोस्तकारी के उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करते हुये नीचे वर्णित संपत्ति का 30.03.2024 को मॉर्गन कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम तौर पर जनता का एतद्वारा, संपत्ति के साथ सोदा न करने के लिए एतद्वारा दी जाती है और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का संबंध न करने का 30.03.2024 के अनुसार 2,01,76,552.380 के साथ उक्त पर ब्याज और दस्तावेज ब्याज, प्रमार, लागत आदि टाटा कैपिटल फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

संपत्ति की अनुसूची

पौडली और तीसरी मंजिल, बी 2/4, जी ब्लॉक/लाक बवार्टर की आवादी में, कृष्णा नगर , गांव शाहदोली के क्षेत्र में, इलाका शाहरा, दिल्ली 110051

दिनांक: 30.03.2024

प्राधिकृत अधिकारी,
टाटा कैपिटल लिमिटेड

कक्षा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

मूलतःद्वारा, अघोस्तकारी, प्राधिकृत अधिकारी, **केनरा बैंक** द्वारा वित्तीय आसितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (संशोधित) में प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए पं प्रतिभूतिकरण (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के प्रावधानों के तहत निर्गमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वीं मंजिल, नगरपालिका कदम नगर, लोअर फ्लैट, मुंबई-400013 और नई दिल्ली ('शाखा') में अन्य स्थानों पर एक शाखा कार्यालय का 01.01.2024 से टाटा कैपिटल लिमिटेड ('टीसीएल') में विलय हो गया है।

चूंकि, अघोस्तकारी वित्तीय आसितियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल लिमिटेड ('टीसीएल') के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रस्तुत शक्तियों का उपयोग करते हुये 08.10.2023 को एक मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ता और सह उधारकर्ताओं गारंटरों, यानी, (1) विशास अरोड़ा, पुत्र कृष्ण विशास अरोड़ा, (2) विकास अरोड़ा, (3) शांशु अरोड़ा, प्रती विशास अरोड़ा, (4) कृष्ण विशास अरोड़ा, (5) राधा राणी, और (6) तलवीनी अरोड़ा, भी-2/4,बी-2 ब्लॉक, कृष्ण नगर, दिल्ली – 110051 को ऋण खाता सं. 4715845 और टीसीएफएसएल0035000011228894 को मध्यम से डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 2,01,76,552.380 के साथ ब्याज और दस्तावेज का शुल्क, लागत आदि को उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ताओं द्वारा इस राशि को चुकाने में असफल रहे है, विशेष तौर पर उधारकर्ताओं तथा आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अघोस्तकारी के उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करते हुये नीचे वर्णित संपत्ति का 30.03.2024 को मॉर्गन कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम तौर पर जनता का एतद्वारा, संपत्ति के साथ सोदा न करने के लिए एतद्वारा दी जाती है और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का संबंध न करने का 30.03.2024 के अनुसार 2,01,76,552.380 के साथ उक्त पर ब्याज और दस्तावेज ब्याज, प्रमार, लागत आदि टाटा कैपिटल फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

संपत्ति की अनुसूची

पौडली और तीसरी मंजिल, बी 2/4, जी ब्लॉक/लाक बवार्टर की आवादी में, कृष्णा नगर , गांव शाहदोली के क्षेत्र में, इलाका शाहरा, दिल्ली 110051

दिनांक: 30.03.2024

प्राधिकृत अधिकारी,
टाटा कैपिटल लिमिटेड

क्र.सं.	शाखा/ऋण के नाम	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	कक्षा की तिथि	मांग नोटिस की तिथि एवं बकाया राशि
1.	शाखा: सुरजकुंड, मेरठ ऋणी/ऋणकर्ता:- श्री ब्याज ट्रेडर्स (प्रोप्राइटरशिप), निवासी कृष्ण (शिवप्रद) एच. जिनगी सिंह (गारंटर)	बंधक एपॉरिट मंगल क्षेत्रफल 120 वर्ग मज अर्थात् 100.33 वर्ग मीटर, खसरा नं० 393 का भाग, स्थित ग्राम- खजीपुर, परगना तलवीनी- मेरठ, सम्पत्ति स्वामी जगदीश सिंह एवं सीमाएड- पृथी- 14 वर्ग 4 ईंच फिर तल्ला, परिचय- 14 वर्ग 4 ईंच फिर श्री ब्रजलाल सिंह का सुला जंजल, उत्तर: 75 फीट फिर गंगा सायब का पत्थन, दक्षिण: 75 फीट फिर ब्याज सिंह का मकान। उपरोक्त सम्पत्ति भी जगदीश सिंह द्वारा लिखे गए दस्तावे (68337220001291) में निम्न है, जिसे हमारी जाहदपुत्र नंबर 28 शाखा द्वारा 30.11.2004 के रु० 4,00,000.00 में स्वीकृत किया गया था। ऋण की वर्तमान देनवारी रु० 1,55,344.72, को दिनांक 01.12.2020 को एम्पेअर से मया।	27.03.2024	04.12.2023 रु० 1,03,07,706.64 + ब्याज व अन्य खर्च

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एनपीएस प्रबंधन समूह, 8वां तल, ब्लॉक 2, लेट बी, एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, पूर्वी किंगडम रोड, नई दिल्ली - 110023

फोन नं. 011-69297256/7275

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुखा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुखा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित।

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर – मेसर्स जैन टेक्स एंड फैब्र एंड गार्लर – श्री परशेरा कुमार जैन और श्रीमती रुचि जैन को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति संरक्षित ऋणदाता अर्थात् आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पास निम्न/बंधक की गई है, जिसका रचनात्मक कर्ता इसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है।

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, संरक्षित ऋणदाता 01.03.2024 को रु. **75,61,25,584.10** – (एचए पंचवतर करोड़ इकराह लाख पचास हजार पांच सौ बीसवीं दस पैसे मात्र) और उस पर संरक्षित ऋणदाता, आईडीबीआई बैंक 02.03.2024 से जिसमें अधिकांश संपिदात्मक ब्याज भी शामिल है, उधारकर्ता – मेसर्स जैन टेक्स एंड फैब्र और गार्लर – श्री परशेरा कुमार जैन और श्रीमती रुचि जैन से देय है। ई-नीलामी के माध्यम से 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर 06.05.2024 को वसूली के लिए बेचा जाएगा।

जिसका आरंभिक मूल्य रु.3,94,00,000/- (रुपये तीस करोड़ चारानवे लाख मात्र) और बयाना राशि रु.39,40,00,000/- (रुपये उन्तीस करोड़ चारालेख लाख मात्र